न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 6/2023

सीतादेवी उर्फ रूपा देवी पत्नि रामचन्द्र जाति अहीर नि0 भैंसावा तह0 जोबनेर

वादीया

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री रामसिंह विद्वान अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक :– 22/11/2024

वादीया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 282/2/1.39 हैक्टर बांके ग्राम बासडी कलां तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 2/11 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। वादीया का सही नाम सीतादेवी है लेकिन वादीया को घर पर बोलचाल में रूपादेवी के नाम से भी पुकारते है। वादीया का नाम बयनामा में सीतादेवी के स्थान पर रूपादेवी अंकित करा दिया था। वादीया का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम सीतादेवी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण मुझे ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादीया का स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 282/2/1.39 हैक्टर बांके ग्राम बासडी कलां तह0 जोबनेर में वादीया का नाम रूपादेवी पत्नि रामचन्द्र के स्थान पर सीतादेवी उर्फ रूपादेवी पत्नि रामचन्द्र किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 28/06/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 मे उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 282/2/1.39 हैक्टर बांके ग्राम बासडी कलां तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 2/11 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उक्त आराजी को काफी अरसे से पूर्व क्रय किया था। वादीया का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम सीतादेवी दर्ज है। सीतादेवी एवं रूपादेवी दोनों नाम वादीया से ही संबंधित है। सरपंच, ग्राम पंचायत भैंसावा पं0स0 जोबनेर के पत्र दिनांक

29.11.2021 के अनुसार सीता देवी उर्फ रूपा देवी पत्नि रामचन्द्र जाति अहिर निवारी– भैंसावा (बोझावाली ढाणी) तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राज0 की मूल निवासी हैं। सीता देवी उर्फ रूपा देवी एक ही महिला है। इनको दोनों ही नामों से जाना जाता है।

वादीया ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 तथा शपथ पत्र स्वयं वादीया पेश किया है।

बहस वकील वादीया सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील वादीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 282/2/1.39 हैक्टर बांके ग्राम बासडी कलां तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 2/11 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम रूपादेवी पत्नि रामचन्द्र दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादीया का नाम सीतादेवी पत्नि रामचन्द्र दर्ज है। तहसीलदार जोबनेर ने बताया है कि वादीया का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम सीतादेवी दर्ज है। सीतादेवी एवं रूपादेवी दोनों नाम वादीया से ही संबंधित है। सरपंच, ग्राम पंचायत भैंसावा पं0स0 जोबनेर के पत्र दिनांक 29.11.2021 के अनुसार सीता देवी उर्फ रूपा देवी एक ही महिला है। इनको दोनों ही नामों से जाना जाता है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादीया को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रूपादेवी पत्नि रामचन्द्र के स्थान पर सीतादेवी उर्फ रूपादेवी पत्नि रामचन्द्र दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

22/11/2024

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)